



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236443
CG-DL-E-09062022-236443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]
No. 147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

सं. 13/2015-2020

विषय: 'अनुपालन के बोझ को कम करने' और 'व्यापार करने की सुगमता' को बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के अध्याय 5 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 18/79/एएम-21/पी-5.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के अध्याय 5 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यह संशोधन एफटीपी-2015-20 के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए लागू हैं।

1. प्रक्रिया पुस्तक के मौजूदा पैरा 5.15 के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाता है।

“वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाईल करने की समय-सीमा को 30.09.2022 तक बढ़ाया जाता है। इस पैरा के तहत 5000/-रु. का विलंब शुल्क वर्ष 2022-23 से भरे जाने वाले देय रिटर्न के लिए लागू है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.15 के तहत वार्षिक रिटर्न फाईल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के साथ-साथ स्पष्टीकरण है कि वार्षिक रिटर्न भरने में देरी के लिए 5000/-रु. का जुर्माना लगाना वर्ष 2022-23 से लागू है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 9th June, 2022

No. 13/2015-2020

Subject : Amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures 2015-20, related to Export Promotion Capital Goods Scheme to reduce 'Compliance Burden' and enhance 'Ease of doing Business' - reg.

F. No. 18/79/AM-21/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures (2015-20) with immediate effect. These amendments are applicable for EPCG authorizations issued under FTP-2015-20.

1. The following sentence is added at the end of existing para 5.15 of Handbook of procedures.

"Time limit to file returns for the year 2022-23 is extended till 30.9.2022. Late fees of Rs. 5000/- under this para is applicable for the returns due to be filed from the year 2022-23 onwards.

Effect of this Public Notice: Extension of last date for filing of annual returns under Para 5.15 of HBP 2015-20 along with a clarification that imposition of penalty of Rs.5000/- for late filing of annual returns is applicable from 2022-23.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.